

संग अधिसूचना 2018 में व्यक्त है।
समाप्त की जायेगी आदेश दि. 6/4/18
की वेब साइट

6/4/18

वकील वादी एफ01 परावली युवति
डिनेश 01/5/18 को पेश हो।
3

08/5/18

समाप्त कर दिया है। अन्य कोई
कार्रवाई/संशोधन नहीं है।
संग अधिसूचना 2018 में व्यक्त है।
समाप्त की जायेगी आदेश दि. 25/6/18
की वेब साइट

25/6/18 चक्रवर्ती राजस्व लोक हादालत 2018

जहाँ पं. सीतरा में पेश हुई। जहाँ
वादी उपर कादवर्षित भूमि में कादी
अपना नाम उठावा है तथा घर
बालूराम दर्ज करवाना चाहता है।
रिपोर्टर लक्ष्मीलक्षार निवासी लीजर्सी मुताबिक
रिपोर्टर लक्ष्मीलक्षार कादवर्षित भूमि में
जहाँ/कादी का नाम उठावा पि. जगन्नाथ
दर्ज है। जहाँ बिजयपुरा की भूमि में
बाल्या पु. जगन्नाथ दर्ज है। राजस्व रिपोर्ट
में उठावा व बाल्या दोनों दर्ज हैं। अतः
बाल्या उपर उठावा किया जाने हेतु उठाव
है। उक्त भूमि आवंटन में नहीं है, पुश्तनी
है। लक्ष्मीलक्षार लांवराम के बकाय सिमेंट
ग्रेने। लक्ष्मीलक्षार की बकाय बिजयपुरा
की नाम बालूराम ही है। उठाव - पर

लांवराम की वा



नि. बाणेश्वर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी
क्रम

तरपंच शा.पं. लीडर) तै रूपर है कि
उताव व बालराम एक ही व्यक्ति है।
अतः तहसीलदार निवाडी की रिपोर्ट,
प्रमाण पत्र तरपंच शा.पं. लीडर), तहसीलदार
के बयान व संलग्न दस्तावेजों के आधार
पर कदी का वाद लौट कराने की
मांग के आदेश में खीचर किया जाता
है। वादवर्षित कृमि संख्या सं. 230, 229
ताके शा.पं. बडोडिया संवत् 2066-69 में कदी
का नाम उतावा पुत्र जगन्नाथ के स्थान
पर बालराम पुत्र जगन्नाथ इत्यादि इत्यादि
के आदेश तहसीलदार निवाडी को दिए
जाते हैं। चर्चा डिक्री जारी हो। प्रथमली
फैसलशुमार होकर नम्बर तै कम हो
तथा दफ्तर दाखिल हो।

3
25/1/18
[Signature]
[Stamp]